RESEARCH COMMUNICATIONS
(An International Open Access, Peer Reviewed, Multidisciplinary Online Journal)
https://research-communications.cmpcollege.ac.in
ISSN: 2584-1270
Volume: 2, Issue: 2, July-December 2024, pp. 18-24

बौद्ध भिक्खुनी संघ: नियम एवं उपसंपदा

अम्बुज यादव एवं प्रो॰ अर्चना खरे

शोध छात्र[1] एवं प्रोफेसर[2]

प्राचीन इतिहास विभाग

सी.एम.पी. डिग्री कॉलेज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश

सारांश

भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के उपरान्त उनके उपदेशों के प्रचार-प्रसार हेतु बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बौद्ध भिक्खु संघ की स्थापना सारनाथ में उस समय ही हो गई जब भगवान बुद्ध ने प्रथम पाँच अनुयायियों को प्रथम उपदेश दिया। धीरे-धीरे संघ में भिक्खुओं की संख्या बढ़ती गई और संघ विशाल स्वरूप में स्थापित हो गया। भिक्खु संघ की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में स्त्रियों को संघ में प्रवेश नहीं दिया गया। विनयपिटक के चुल्लवग्ग में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि बुद्ध नारी जाति को भिक्खु धम्म की दीक्षा देने के लिए सर्वथा विरूद्ध थे। कपिल वस्तु के न्यग्रोधाराम बिहार में जब महाप्रजापति गौतमी ने भगवान बुद्ध से कहा- "भन्ते! अच्छा हो यदि स्त्रियाँ भी तथागत के दिखाए धर्म' विनय में घर से बेघर हो प्रव्रज्या पावे।" नहीं गौतमी तथागत धर्म विनय में स्त्रियों को घर छोड़ बेघर हो प्रव्रज्या लेने की अनुज्ञा नहीं करते।[1] इस पर गौतमी दुःखी हो भगवान को अभिवादन कर रोती हुई चली गई। बाद में गौतमी के मौन हठ तथा आनन्द के तर्क एवं अनुरोध पर महिलाओं को संघ में प्रवेशित कर लिया गया।

मुख्य शब्द- *भिक्खुनी संघ, उपसंपदा, गुरूधर्म, प्रातिमोक्ष, धर्म-विनय, प्रव्रज्या*

संवाद एवं विश्लेषण

गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया गया। महिलाओं को संघ में प्रवेश लेने के पहले भगवान बुद्ध ने अपने सहायक के माध्यम से मान्य सारिपुत्त मौदग्लायन, भद्दिय, किम्बिल और महाकश्यप को बुलाया। उनके आने पर लम्बा विचार-विमर्श हुआ। बुद्ध ने कहा कि किसी भेदभाव के कारण मैं महिलाओं से नहीं हिचकिचा रहा। मुझे यह भरोसा नहीं कि महिलाओं के संघ में प्रवेश करने की अनुमति देने से संघ के भीतर और बाहर कुछ हानिकर संघर्ष न होगा।[2]

लम्बे विचार-विमर्श के दौरान सारिपुत्र ने कहा समझदारी की बात यह होगी कि हम संघ में भिक्खुनियों की भूमिका के विषय में कुछ निश्चित निर्णय कर लें। इन आचार संहिताओं से हम विरोधी लोगों का विरोध शांत कर सकेंगे। हजारों वर्षों से महिलाओं के प्रति भेदभाव बरता गया है।[3] इस प्रकार आठ गुरू धर्म बनाये गये जो इस प्रकार हैं-

(i) सौ वर्ष की उपसम्पदा पाई भिक्खुनी को भी उसी दिन उप-सम्पन्न भिक्खु के लिये अभिवादन प्रत्युत्थान, अंजलि जोड़ना, समीची-कर्म करना चाहिये। यह भी धर्म सत्कार पूर्वक, गौरवपूर्वक मानकर पूजकर जीवनभर न अतिक्रमण करना चाहिये।
(ii) (भिक्खु का) उपगमन (धर्मश्रवणार्थ आगमन) करना चाहिए। यह भी धर्म।
(iii) प्रति आधेमास भिक्खुनी को भिक्खु-संघ से पर्यवेषण (प्रार्थना) करना चाहिए।
(iv) वर्षा-वास कर चुकने पर भिक्खुनी को (भिक्खु, भिक्खुनी) दोनों संघों में देखे, सुने, जाने तीनों स्थानों से प्रवारणा करनी चाहिए।
(v) गुरू-धर्म स्वीकार किये भिखुणिकों दोनों संघों में पक्ष मानता करनी चाहिए।
(vi) किसी प्रकार भी भिक्खुनी भिक्खु को गाली आदि (आक्रोश) न दें। यह भी।
(vii) आनन्द! आजसे भिक्खुनियों का भिक्खुओं को (कुछ) कहने का रास्ता बन्द हुआ।
(viii) लेकिन भिक्खुओं को भिक्खुनियों को कहने का रास्ता खुला है।

"यदि आनन्द! महाप्रजापती गौतमी इन आठ गुरू धर्मों को स्वीकार करें, तो उसकी उप-सम्पदा हो।" तब आयुष्मान आनन्द भगवान के पास इन आठ-गुरू धर्मों को समझ कर जहाँ महाप्रजापति गौतमी थी, वहाँ गये। जाकर महाप्रजापती गौतमी से बोले-

"यदि गौतमी! तू इन आठ गुरू-धर्मों को स्वीकार करे, तो तेरी उपसम्पदा होगी-

"भन्ते! आनन्द! जैसे शौकीन शिर से नहाये अल्प-वयस्क, तरूण स्त्री या पुरुष उत्पल की माला या अविमुक्तक (मोतियों) की माला को पा, दोनों हाथों में ले, उसे उत्तम-अंग शिर पर रखता है, वैसे ही भन्ते! मैं इन आठ गुरू-धर्मों को स्वीकार करती हूँ।"[4]

आठ गुरू-धर्म के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक भिक्खुनी भिक्खु को सम्मान देगी भले ही वह भिक्खुनी चाहे सौ वर्ष की उप-सम्पदा प्राप्त क्यों न हो? यह नियम पुरुष के कथित जन्म जात श्रेष्ठता एवं वर्चस्व को प्रदर्शित करता है वही पर स्त्रियों के अपमान का भी द्योतक है।[5] यहाँ पर लिंग के आधार पर भी भेदभाव दृष्टिगोचर होता है। इसी नियम के अनुसार यह भी आदेश था कि कोई भी भिक्खुनी भिक्खु के समक्ष नहीं बैठेगी। हाँ, यदि भिक्खुणी बीमार है या खड़े होने में असमर्थ है तो वह भिक्खु के समक्ष बैठ सकती है।[6] यहाँ पर भी स्त्रियों पर पुरुषों का वर्चस्व दिखाई दे रहा है।

स्त्रियों को संघ में प्रवेशित करने के पश्चात् भगवान बुद्ध ने आनन्द से कहा- आनन्द। यदि तथागत-प्रवेदित धर्म विनय में स्त्रियाँ प्रब्रज्या न पाती, तो (यह) ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी होता, सद्धर्म सहस्त्र वर्ष तक ठहरता। लेकिन चूँकि आनन्द! स्त्रियां प्रब्रजित हुई, ब्रह्मचर्य चिर-स्थायी न होगा सद्धर्म पाँच ही सौ वर्ष ठहरेगा। आनन्द! जैसे बहुत स्त्रीवाले और थोड़े पुरुषों वाले कुल, चोरों द्वारा, आसानी से ध्वंसनीय होते हैं, इसी प्रकार आनन्द! जिस धर्म-विनय में स्त्रियाँ प्रब्रज्या पाती है, वह ब्रह्मचर्य चिर स्थायी नहीं होता। जैसे- आनन्द! सम्पन्न लहलहाते धान के खेत में सेतट्ठिका (सफेदा) नामक रोग-जाति पड़ती है, जिससे वह शालि-क्षेत्र चिर-स्थायी नहीं होता, ऐसे ही आनन्द! जिस धर्म विनय में। जैसे आनन्द! ऊख के खेत में माजेष्ठिका नामक रोग जाति पड़ती है, जिससे ऊख का खेत चिर स्थायी नहीं होता; ऐसे ही आनन्द।

आनन्द! जैसे आदमी पानी को रोकने के लिए बड़े तालाब की रोक-थाम के लिए, मेंड बाँधे, उसी प्रकार आनन्द। मैने रोक थाम के लिए भिक्खुणियों के जीवन भर अनुल्लंघनीय आठ गुरू-धर्मों को स्थापित किया।''[7]

विनय-पिटक के उपर्युक्त कथन के पीछे भगवान बुद्ध को शायद यही भय था कि भिक्खु और भिक्खुनी का संपर्क संघ में भ्रष्टाचार न उत्पन्न कर दे, इसलिए बुद्ध ने यह बात कही होगी। जिन धार्मिक संस्थाओं में वैराग्य की प्रमुखता है वहाँ स्त्री की उपस्थिति से पुरुष की आध्यात्मिक साधना में व्यवधान होने की सम्भावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बुद्ध ने अनुभव किया कि बौद्ध भिक्खु संघ में भिक्खुणियों की उपस्थिति के फलस्वरूप कतिपय भिक्खु संघ के उच्च नैतिक आदर्शों से च्युत हो जाएंगे। अतः वे भिक्खुनी संघ की स्थापना के विरूद्ध थे। नारी-जाति को प्रव्रज्या के अधिकार से वंचित रखने का एक प्रमुख कारण यह प्रतीत होता है कि पुरुष अपनी दुर्बलताओं का आरोप स्त्री के दुश्यचारित्य पर करता रहा है अतः सन्यासी को नारी से दूर रहकर लक्ष्यसिद्धि में सफलता दिखती है। दूसरी ओर बौद्ध-संघ में युवा भिक्खु और युवती भिक्खुणियों की उपस्थिति से अनेक जटिल समस्याओं के उत्पन्न होने की सम्भावनाएं थी। अतः भिक्खु-भिक्खुनी सम्बन्ध कलुषित न हो, इस विचार से यह नियम बनाया गया।[8]

विनय पिटक के भिक्खुनी पातिमोक्ख[9] नियम के अन्तर्गत भिक्खुनियों को यह आदेश था कि वे भिक्खुओं से रहित स्थान पर वर्षावास ना व्यतीत करें। यह नियम भिक्खुनियों की सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया होगा। यह नियम भिक्खुनियों के पाचित्तिय दोषों के अन्तर्गत क्रम संख्या छप्पन पर है। एक बार कुछ भिक्खुनियां वर्षावास के पश्चात श्रावस्ती लौट रही थी तब श्रावस्ती की कुछ भिक्खुनियों ने उनसे प्रश्न किया कि क्या उनकी शिक्षा अथवा उपदेश पूर्ण प्रभावी रहे? तब भिक्खुनियों ने उत्तर दिया कि बिना भिक्खुनियों के उपदेश से शिक्षा पूर्ण प्रभावी कैसे हो सकती है।[10] चूँकि भिक्खुनियों को भिक्खु वाले स्थान पर वर्षावास करना चाहिए तथा उनकी उपस्थिति में वर्षावास पूर्ण था। भिक्खु भिक्खुनियों के लिए देशना करते थे जिससे भिक्खुनियों को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी। यह नियम भिक्खुनियों की ज्ञान एवं दर्शन सम्बन्धी पर्याप्तता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि यदि वे एक दूसरे को उपदेश देने हेतु पर्याप्त नहीं होती तो वे आम जनमानस को ही शिक्षित करने तक ही सीमित रहती। यही कारण है कि उनका वर्षावास भिक्खुओं के साथ व्यतीत करने को कहा गया। आठ गुरू-धर्म के नियम के अनुसार प्रति आधेमास भिक्खुनी को भिक्खु-संघ से पर्येषण (प्रार्थना) करना चाहिए। उस समय बुद्ध भगवान राजगृह के गृध्रकूट पर्वत पर रहते थे। उस समय दूसरे मत वाले (परिब्राजक) चतुर्दशी पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को इकट्ठा होकर धर्मोपदेश करते थे। उनके पास लोग धर्म सुनने के लिये जाया करते थे। जिससे कि वह दूसरे मत वाले परिब्राजको के प्रति प्रेम और श्रद्धा करते थे और दूसरे मत वाले परिब्राजक (अपने लिए) अनुयायी पाते थे। तब मगधराज श्रोनिय बिम्बिसार को एकान्त में विचार करते वक्त चित्त में ऐसा ख्याल पैदा हुआ- इस समय दूसरे मतवाले परिब्राजक चतुर्दशी पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को इकट्ठा होकर धर्मोपदेश' करते हैं। उनके पास लोग धर्म सुनने के लिये जाया करते हैं, वह दूसरे मत वाले परिब्राजको के प्रति प्रेम और श्रद्धा करते हैं और दूसरे मतवाले परिब्राजक अनुयायी पाते हैं। क्यों न आर्य लोग भी चतुर्दशी, पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को एकत्रित हो?[11]

तब भगवान बुद्ध ने भिखुओं को अनुमति देते हुए कहा- ''भिक्खुओं! अनुमति देता हूँ चतुर्दशी पूर्णमासी और पक्ष की अष्टमी को एकत्रित हो उपदेश करने की।[12] विनय-पिटक में ही उपोसथागार निश्चित करने के बारे में वर्णन आया है। इस बारे में भगवान बुद्ध ने कहा था कि- ''भिक्खुओं! बारी-बारी से परिवेण में बिना सूचना दिये प्रातिमोक्ख-पाठ नहीं करना चाहिए। जो पाठ करे उसे दुक्कट का दोष हो। भिक्खुओं!

अनुमति देता हूँ विहार, अटारी, प्रसाद, हर्म्य या गुहा जिस किसी को संघ चाहे उपोसथागार के लिए सम्मति लेकर उसमें उपोसथ करने की।[13]

भिक्खुनियों को चाहिए कि वे सावधानीपूर्वक प्रत्येक उपोसथ की तिथि व समय ज्ञात कर लें। तत्पश्चात एक चतुर समर्थ भिक्खुनी संघ को सूचित कर सम्मति प्राप्त करती थी। एक स्थान पर एक ही उपोसथागार होना चाहिए। उपोसथ के दिन सर्वप्रथम स्थविरों (भिक्खुओं) को और फिर नयी भिक्खुनियों को उपोसथागार में आना चाहिए। नियम के अनुसार भिक्खुनियों को प्रति पन्द्रहवें दिन भिक्खु संघ से दो बातों को पाने की इच्छा रखनी चाहिए।

(i) उपोसथ में कुछ (प्रश्न) पूँछना।

(ii) धर्मश्रवणार्थ हेतु जाना।

जो भिक्खुनी इसका अतिक्रमण करती है उस पर पाचित्तिय का दोष होगा।[14] उपोसथ के दिन प्रातिमोक्ष का पाठ किया जाता था। संघ में रहते हुए भिक्खु एवं भिक्खुनियों से अपराध हो जाते थे। उपोसथ के दिन अपना अपराध स्वीकार करते थे जिसे प्रतिदेशना कहते हैं। प्रत्येक भिक्खुनी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह उपोसथ वाले दिन उपोसथागार में उपस्थिति हो और यदि उससे कुछ अपराध हो गया हो तो उसकी प्रतिदेशना एवं उसका प्रायश्चित करे। यह ऐसा अवसर था जिसमें अपराध को स्वीकार करने के साथ ही साथ भिक्खु एवं भिक्खुनी द्वारा यह संकल्प लिया जाता था कि भविष्य में उस अपराध की पुनरावृत्ति नहीं होगी।[15]

वर्षावास की समाप्ति पर भिक्खु और भिक्खुनियों को देखे सुने और संदेह की स्थिति में तीन तरह के दोषों की प्रवारणना करनी चाहिए।[16]

यह भिक्खुनी संघ के आठ गुरू-धर्म का चौथा नियम था। प्रवारणना एक प्रकार का अनुशासन था जो आध्यात्मिक एवं वैराग्य पूर्ण जीवन जीने हेतु अत्यन्त आवश्यक था। प्रारम्भ में भिक्खुनियाँ वर्षावास के उपरान्त दोनों संघों के समक्ष प्रवारणना करती थी किन्तु बाद में जब भिक्खुनियों को धर्म एवं दर्शन का ज्ञान हुआ तब प्रवारणना कार्यक्रम का आयोजन स्वयं प्रारम्भ कर दिया जिसमें भिक्खु भाग नहीं लेते थे। गौतम बुद्ध ने भी दोनों संघों में प्रवारणना को लेकर उत्पन्न कोलाहल को देखते हुए भिक्खुनियों को अलग प्रवारणना करने की अनुमति दे दी थी।[17]

प्रवारणना वाले दिन भिक्खुनी संघ की ओर से भिक्खु संघ में प्रवारणना करने के लिए एक चतुर समर्थ्य भिक्खुनी को चुना जाता था। तब वह भिक्खुनी संघ के पास उकडूं बैठ, हाथ जोड़ कहती थी, संघ देखें, सुने, शंका किए सभी दोषों के लिए मैं अपने अपराधों की प्रवारणना करती हूँ। कृपा करके मुझे देखे सुने संदेह वाले अपराधों को बताएं। देखने पर मैं उनका प्रतिकार करूंगी। भिक्खुनी तीन बार इसको दोहराती थी उसके बाद नहीं। भिक्खुनी इसी प्रकार प्रवारणना करती थी।[18]

भिक्खुनियों के लिए पाँचवा गुरूधर्म था कि गम्भीर अपराध से युक्त भिक्खुनी को मान्नता अनुशासन का पालन करना होता था, जो भिक्खु तथा भिक्खुनी दोनों संघों के समक्ष होता था। चुल्लवग्ग में उल्लिखित है कि गुरू धर्म स्वीकार किए जाने के पश्चात् भिक्खुनी को दोनों संघों में पक्षमानता करनी चाहिए।[19]

मान्नता अनुशासन में भी कालांतर में परिवर्तन कर दिया गया जैसे कि प्रातिमोक्ष की आवृत्ति एवं प्रावरणा के सन्दर्भ में किया गया था। अन्त में गौतम ने भिक्खुनियों को ही भिक्खुनियों के प्रति अनुशासनिक कार्यवाही हेतु अधिकृत कर दिया था।[20]

बाहरी दबावों ने भी इन मामलों में और स्वतन्त्रता दे दी। फलतः आंतरिक मामलों में भिक्खुसंघ व भिक्खुनी संघ अलग हो गए थे। इस प्रकार बाद में प्रातिमोक्ष की आवृति, प्रवारणना व पक्षमानता करना आदि को लेकर भिक्खु व भिक्खुनीसंघ पृथक बैठक करने व निर्णय लेने लगे थे। हालांकि यह स्थिति विडम्बनापूर्ण थी।[21]

भिक्खुनी संघ के छठे नियम के अनुसार जिस भिक्खुनी ने दो वर्ष तक छः नियमों का अध्ययन व पान किया हो ऐसी श्रामणेरी को दोनों संघों के सम्मुख उपसम्पदा हेतु प्रार्थना करनी चाहिए। विनय पिटक में उपसम्पदा एवं प्रब्रज्या भिक्खु एवं भिक्खुनियों के लिए समान नियम था। इन नियमों मे उपसम्पदा के लिए योग्य गुरू की चर्चा विनय-पिटक में प्राप्त होता है।[22]

उपसम्पदा के नियम इस प्रकार थे-

(i) बीस वर्ष से कम भिक्खु या भिक्खुनी की उपसम्पदा नहीं होगी।

(ii) पन्द्रह वर्ष से कम श्रामणेर नहीं होना चाहिए।

(iii) भिक्खुओं को दो श्रामणेर नहीं रखने चाहिए। जो रखे उसे दुक्कट का दोष होगा।

(iv) प्रब्रज्या के लिए माता-पिता की आज्ञा लेनी होगी।

ऐसा प्रतीत होता है कि भिक्खुनियों के लिए भिक्खुओं से अधिक नियम थे। सामान्य रूप से श्रामणेरी को प्रव्रज्या समारोह में सफल होना पड़ता था और यह तभी सम्भव था जबकि कोई भी श्रामणेरी दो वर्षों की प्रशिक्षण अवधि में सम्पूर्ण छः नियमों का पालन ईमानदारी व निष्ठा के साथ करती आई हो। इनमें पांच शील भी शामिल थे जो बुद्ध के नैतिकता संबंधी सिद्धांतों के केन्द्र बिन्दु थे।

यदि कोई भिक्खुनी छः नियमों के पालन में जरा सा भी लापरवाही दिखाती थी तो उसे सम्पदा हेतु अयोग्य ठहराया जा सकता था। यह नियम परीक्षा के साथ सदस्या के रूप में नियुक्ति की अर्हता तथा संघ की स्वीकृति होती थी जबकि प्रशिक्षार्थी को पूर्ण संघ द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो। इसमें चुनाव तथा छांट नहीं होती थी।[23]

भिक्खुनी का जीवन आम महिलाओं की अपेक्षा अत्यनत कठोर माना जाता था। यह आवश्यक था कि वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यदि भिक्खुनी स्व-निर्भर बनना चाहती है, दृढ़तापूर्वक आध्यात्मिक जीवन के कर्त्तव्यों को भली-भांति निभाना चाहती है तो उसे कठोर नियमों का पालन निष्ठापूर्वक करना चाहिए। उपसम्पदा कराने वाले गण के सदस्यों के विषय में गौतम ने अनुमति दी थी कि दस से कम (कोरम) वाले गण में उपसम्पदा नहीं करानी चाहिए जो कराए उसे दुक्कट का दोष हो सिर्फ वे भिक्खु या भिक्खुनी ही उपसम्पदा करा सकते थे जो कम से कम द वर्षों से धम्म की जानकारी रखते हो व चतुर, जानकार हो।[24]

आठ गुरूधर्म के सातवे नियम के अनुसार कोई भी भिक्खुनी किसी भी भिक्खु को दुर्वचन या निन्दा नहीं करेगी, न ही संघ को ही कुछ कहेगी। जो भिक्खुनी ऐसा कहेगी उसे पाचित्तिय का दोष होगा।[25] यह नियम तब बनाया गया जब छः भिक्खुनियों के द्वारा उपालि नामक भिक्खु को अपशब्द कहे गये। यह घटना बुद्ध के संज्ञान में आई तो उन्होंने यह नियम बना दिया कि कोई भी भिक्खुनी किसी भी भिक्खु को अपशब्द नही कहेगी। बाद में उपालि एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गये और भगवान बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्यों में से एक हो गए।[26]

इस नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि संघ के जो नियम थे वे समय के साथ या तो बदल रहे थे या उनमें संशोधन हो रहा था। यह प्रक्रिया गणराज्यों की उस प्रणाली से लगभग मिलती-जुलती है जिसमें वे किसी संस्थागार या सभाभवन में एकत्रित होकर अपने गण के लिए नियम बनाते थे। चूँकि भगवान बुद्ध भी शाक्य गणराज्य से सम्बन्धित थे अतः इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता कि उन्होंने अपने संघ के नियम गणराज्यों के नियम के आधार पर ही बनाए थे।

आठवें एवं अन्तिम नियम के अनुसार किसी भी भिक्खुनी द्वारा भिक्खु को उपदेश देना वर्जित था किन्तु एक भिक्खु द्वारा भिक्खुनी को उपदेश दिया जा सकता है। यह अन्तिम नियम महिलाओं को पुरुष से हीन स्थिति में रखने और उन्हें स्वतन्त्रता प्रदान न करने का एक और उदाहरण है।[27] इन आठ नियमो का पालन करना प्रत्येक भिक्खुनी का धर्म था। इन नियमों में स्त्री पुरुष का अन्तर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के कोई नियम नहीं थे कि भिक्खु भिक्खुनियों को सम्मान दें, फिर भी उनसे यह आशा की जाती थी कि वे भिक्खुनी एवं उनके संघ को सम्मान देंगे।

बौद्ध भिक्खुनी संघ के आठ गुरू धर्मों के विस्तृत विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि इन नियमों के द्वारा भिक्खुनियों पर भिक्खुओं का नियंत्रण स्थापित किया गया था। अधिकांश नियम भिक्खुनियों के साथ न्याय करते प्रतीत नहीं हो रहे। पर इसका मतलब यह नहीं है कि ये नियम भिक्खुनियों के संघ निर्वाह के विपरीत थे। भले ही ये नियम वर्तमान परिपेक्ष्य में तर्क संगत प्रतीत नहीं होते फिर भी कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध ने तात्कालिक सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए उच्च आदर्श एवं नैतिकता की दृष्टि से ये नियम बनाया होगा और उस समय के अनुसार वे उचित रहे होंगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विनयपिटक, हिन्दी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन, सम्पादक डॉ0 परमानंद सिंह, बौद्ध आकर ग्रंथमाला, काशी विद्या पीठ, वाराणसी, पृ0 520
2. तिक न्यात हन्ह, जहं-जहं चरन परे गौतम के, पृ0 228
3. वही
4. विनयपिटक, हिन्दी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन, बौद्ध आकर ग्रन्थमाला, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, पृ0 521
5. वूमेन अंडर प्रीमिटिव बुद्धिज्म, आई0बी0 हॉर्नर, पृ0 121
6. वही
7. विनय-पिटक हिन्दी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन, सम्पादक डॉ0 परमानन्द सिंह बौद्ध आकर ग्रन्थ माला, काशी विद्यापीठ वाराणसी, पृ0 521
8. बुद्धकालीन समाज एवं धर्म, डॉ0 मदन मोहन सिंह, पृ0 187
9. विनयपिटक, हिन्दी अनुवाद- राहुल सांकृत्यायन, सम्पादक डॉ0 परमानन्द सिंह, बौद्ध आकर ग्रंथ माला काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
10. वूमेन अंडर प्रीमिटिव बुद्धिज्म, आई0बी0 हार्नर, पृ0 122
11. विनय पिटक हिन्दी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन, सम्पादक डॉ0 परमानन्द सिंह बौद्ध आकर ग्रन्थ माला काशी विद्यापीठ वाराणसी, पृ0 138-39.
12. वही
13. वही
14. वही, पृ0 56
15. वूमेन अंडर प्रीमिटिव बुद्धिज्म, आई0बी0 हार्नर, पृ0 125

16. विनय पिटक हिन्दी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन, सम्पादक डॉ0 परमानन्द सिंह बौद्ध आकर ग्रन्थमाला, काशी विद्यापीठ वाराणसी, पृ0 56
17. वही, पृ0 535
18. वही, पृ0 535
19. वूमेन अन्डर प्रीमिटिव बुद्धिज्म, आई0बी0 हार्नर, पृ0 137
20. वही
21. विनय-पिटक हिन्दी अनुवाद राहुल सांकृत्यायन सम्पादक डॉ0 परमानन्द सिंह बौद्ध आकर ग्रन्थमाला, काशी विद्या पीठ वाराणसी, पृ0 110
22. वही, चुल्लवग्ग
23. वही
24. वही, पृ0 55
26. वूमेन अंडर प्रीमिटिव बुद्धिज्म, आई0बी0 हार्नर, पृ0 158
27. वही, पृ0 159